न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1966–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–4–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 537/11–12/अपील.

1– श्रीमती गीता पत्नी वासदेव
2– त्रिवेणी पत्नी मिथलेश
3– मिथलेश पुत्र मंगलिया
निवासी ग्राम आरोन
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती मनोरमा पत्नी स्व. रामपदम शर्मा
2– राजीव शर्मा पुत्र स्व. रामपदम शर्मा
3– संजीव शर्मा पुत्र स्व. रामपदम शर्मा
निवासीगण आपागंज पुलिस चौकी के पास,
लश्कर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/11/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 2 पर दिनांक 19–9–08 को आदेश पारित कर वसीयतनामा के आधार पर आवेदिका कमांक 1 श्रीमती गीता पत्नी वासुदेव के हक में ग्राम आरोन स्थित भूमि कुल सर्वे नम्बर 14 रकबा 6.092 हेक्टेयर पर नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–5–2012 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–4–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर त्रुटिपूर्ण नामांतरण आदेश पारित किया गया है तो इसमें आवेदकगण का कोई दोष नहीं है । यह भी कहा गया कि यदि अनुविभागीय अधिकारी के मत में अपर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश अवैधानिक था, तब उन्हें तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुनः विधिवत नामांतरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने में विधिक एवं न्यायिक त्रुटि की गई है । उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17–6–2015 को आदेश पारित कर नये सिरे से आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में पुनः नामांतरण किए जाने हेतु प्रकरण अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है,

क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जायेगी । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उनका विधिक दायित्व था कि या तो वे स्वयं साक्ष्य लेकर प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के संबंध में निराकरण करते अथवा अपर तहसीलदार को प्रकरण विधिवत नामांतरण हेतु प्रत्यावर्तित करते, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपर तहसीलदार को शीघ्र कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अपर तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिसंगत नामांतरण आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–13, अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2012 एवं अपर तहसीलदार, घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–9–2008 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर